भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न सं. *98
सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

बिहार में वाल्मीकि आश्रम का विकास

***98. श्री सुनील कुमारः**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य के वाल्मीकि नगर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वाल्मीकि आश्रम के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षणों को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार में वाल्मीकि आश्रम का विकास के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. *98 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (ग): पर्यटक स्थलों और उनकी अवसंरचना विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की है।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने एवं निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हालांकि पर्यटन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर की पर्यटन संभावना की पहचान की है तथापि, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि राज्य सरकार से निर्धारित प्रारूप में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय "स्वदेश दर्शन", "तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)" और "पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता" की अपनी जारी योजनाओं के माध्यम से बिहार राज्य सहित देश में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को सम्पूरित करता है।

वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास हेतु पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) संबंधी दिशानिर्देशों के तहत भारत सरकार ने बिहार राज्य में 147.12 करोड़ रु. की लागत वाली 'मत्स्यगंधा झील, सहरसा का विकास' और 'करमचट इको-पर्यटन एवं एडवेंचर हब' नामक 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार में वाल्मीकि आश्रम का विकास के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. *98 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

बिहार में प्रशाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(करोड़ रु. में)

राज्य	**क्र. सं.**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि**	**जारी राशि**
बिहार	1	पटना साहिब में विकास	2015-16	29.62	29.62
	2	विष्णुपद मंदिर में मूलभूत सुविधाओं का विकास	2014-15	3.63	3.63

बिहार में स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजना का विवरण

(करोड़ रु. में)

परिपथ का नाम	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**जारी राशि**
तीर्थंकर परिपथ 2016-17	वैशाली-आरा-मसद-पटना-राजगीर-पावापुरी-चंपापुरी का विकास	33.96	30.04
आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	कांवरिया रूट: सुल्तानगंज-धर्मशाला-देवघर का विकास	44.76	42.52
बौद्ध परिपथ 2016-17	बौद्ध परिपथ का विकास - बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	95.18	95.18
ग्रामीण परिपथ 2017-18	भितिहरवा- चंद्रहिया- तुरकौलिया का विकास	44.27	40.31
आध्यात्मिक परिपथ 2017-18	मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास	44.55	42.32

बिहार में 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' की योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

स्वीकृति वर्ष	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**जारी जारी**
2013-14	गया रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	5.18	4.14
2023-24	बक्सर, बिहार में एक्वा स्क्रीन प्रोजेक्शन और साउंड शो के साथ 3डी मैपिंग और राम रेखाघाट, बिहार में डायनामिक लाइटिंग और मोटिफ	5.99	0.599

बिहार में पूंजी निवेश के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**राशि (करोड़ रु. में)**
1.	मत्स्यगंधा झील, सहरसा का विकास	97.61
2.	करमचट इको-टूरिज्म और एडवेंचर हब	49.51

*****